बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक (मा. शि.),
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली – 110092।

पटना, दिनांक ...........................................

बिषयः-- होली मिशन सेकेन्ड्री स्कूल, आदमपुर खगौल रोड, दानापुर, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बंद्वता देने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या– 238, दिनांक 03–04–2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गई तथा होली मिशन सेकेन्ड्री स्कूल, पटना को सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:–

1. विद्यालय का संचालन "जगत नारायण सामाजिक कल्याण समिति" के द्वारा किया जा रहा है। समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अधीन निबंधित संस्था हैं। सोसायटी के सदस्यों की सूची, नाम, पता व फोन नं0 सहित विद्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है। सोसायटी के सदस्यों के बीच पारिवारिक संबंध नहीं हैं। इस संबंध में शपथ पत्र दिया गया है।

2. विद्यालय किसी अन्य सोसायटी के फ्रेन्चाईजी के रूप में अथवा किसी ब्राण्ड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र के द्वारा किया गया है।

3. विद्यालय को निबंधन के माध्यम से दो एकड़ एक डीसमील भूमि 30 वर्षो के लीज पर निबंधित है। जिसमें सी.बी.एस.ई. के मापदण्ड के अनुरूप 36 कमरे है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध है।

4. विद्यालय में 28 शिक्षक कार्यरत है। शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया द्वारा किया गया है। आवेदन पत्र स्थानीय विज्ञापन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिसमें 24 शिक्षक प्रशिक्षित है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, विद्यालय सूचना पट से, छात्रो को सूचना देकर, अभिभावको को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अभिभांवक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाता है।

7. विद्यालय को उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 03–04–2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपया प्रतिवर्ष होंगे।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के.जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चो एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए

Manager
HOLY MISSION SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E., Delhi upto 10+2

Principal
HOLY MISSION SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E., Delhi upto 10+2

आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के.जी. तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकमत दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं बेबसाईट में करना होगा। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्वन रद्व करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तो के आधार पर होली मिशन सेकेन्ड्री स्कूल, आदमपुर खगौल रोड, दानापुर, पटना सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापति प्रमाण–पत्र दी जाती है।

अनु.:– जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन,
ह0/–
**(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)**
निदेशक (मा.शि.)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

ज्ञापांक 703 पटना, दिनांक 30/6/08
प्रतिलिपिः प्राचार्य, होली मिशन सेकेन्ड्री स्कूल, आदमपुर खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/08
**(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)**
निदेशक (मा.शि.)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार
30/6/08

Manager
HOLY MISSION SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E., Delhi upto 10+2
Adampur, Danapur, Patna-801105

Principal
HOLY MISSION SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E., Delhi upto 10+2
Adampur, Danapur, Patna-801105